भारतीय महिलाओं के सवैंधानिक एवं कानूनी प्रावधान

Suman Devi
Assistant Professor , Deptt. Political Science, C.R. Law College, Hisar,Haryana, India
Dr. Poonam Chahal
Principal Officiating, C.R. Law College Hisar, Haryana, India

सारांश

कई दशकों से महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को रोकने के प्रयास समाज के द्वारा किए जा रहै। लेकिन समाज अकेला यह नहीं कर सकता अतः स्त्रियों को उनके संपूर्ण अधिकार दिलाने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा अनेक कानूनों को पारित किया गया है। लेकिन विडंबना ये है कि ये कानून आज तक भी स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभावों और अत्याचारों को रोक नहीं पाए है।

पुरूष प्रधान मानसिकता के चलते यह संभव नही हो सका है। आज वास्तव में हालात ये है कि किसी भी कानून का पूर्णतः पालन होने के स्थान पर अनेक कानूनों का पूर्णतः पालन होने के स्थान पर अनेक कानूनों का थोड़ा सा पालन हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण शायद ये है कि महिलाओं में इन कानूनों के प्रति जागरूकता का अभाव। भारतीय संविधान में जो कानून महिलाओं के लिए बनाए गए है इस बात की जानकारी महिलाओं को अवश्य होनी चाहिए।

मूल शब्दः भारतीय संविधान, महिलाओं के अधिकार, कानून

परिचय

प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक महिलाओं के संघर्ष को कहानी बहुत लंबी है। सदियों से प्राधीनता की बेड़ियों में जकड़ी रहने वाली एकमात्र जाती 'नारी' ही है। आधुनिक युग में भी विश्व स्तर पर महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचारों में असाधारण वृद्धि हुई है। जिसका वास्तविक प्रभाव समाज पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। अपराध समाज में हो पनपतें है और समाज ही उनका समाधान कर सकता है क्योंकि समाज और अपराध एक–दूसरे के पूरक है। प्राचीन युग में आवश्यकताएं कम होने के कारण अपराधों की संख्या भी न्यून थी किन्तु वर्तमान में समाज की बढ़ती आवश्यकताओं के साथ–साथ अपराधों में भी वृद्धि हुई है वर्तमान में इन्टरनेट, इलैक्ट्रोनिक्स मिडिया के कारण अपराधों ने एक नया रूप ले लिया है जिससे साइबर अपराध के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में अनेक अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है जिसमें स्त्री और पुरूष को समान दर्जा दिया गया है लेकिन ये प्रावधान केवल कागजों तक ही सीमित कर रह गए हैं। अगर भारत में

ISBN: 978-81-955611-1-7

महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों का विश्लेषण करे तो प्रति 6 मिनट पर महिलाओं के साथ छोड़छाड, हत्या का प्रयास, बलात्कार, यौन–उत्पीड़न जैसी घटनांए घटती है। और अगर विभिन्न प्रदेशों की स्थिति के अनुसार देखें तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक, फिर मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश और राजस्थान में महिलाओं प्रति ज्यादा अपराध घटित होते है।

ऐसे अपराधों को रोकने के लिए संविधान द्वारा सख्त कानूनों का प्रावधान किया गया है। लेकिन तब तक समाज की सोच, व मानसिकता में परिवर्त नहीं होगा ये कानून सफल नहीं हो सकते।

संविधान में महिलाओं के कानूनी अधिकार

भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं के लिए अनेक संवैधानिक और कानूनों अधिकार प्रदान किए गए है तथा उनके उचित क्रियान्वयन और महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने हेतु आयोगों को स्थापना भी की गई है

यदि हम भारतीय संविधान की जांच करे तो पता चलता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद–14 प्रावधान करता है कि "भारत राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति के विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नही किया जाएगा"।

इसका भाव है कि कानून के समक्ष स्त्री और पुरूष को न्याय प्राप्ति में किसी प्रकार के लिंग भेद का शिकार नहीं होना पडेगा।

अनुच्छेद–15(3) में जाती, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेद–भाव न करना।

अनुच्छेद–16(1) में लोक–सेवाओं में बिना भेद–भाव के अवसर की समानता।

अनुच्छेद–21 में स्त्री एंव पुरूष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता में वंचित न करना,

अनुच्छेद–23–24 ने शोषण के विरूद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त

अनुच्छेद–25–28 में धार्मिक स्वतन्त्रता दोनों को समान रूप से प्रदत

अनुच्छेद–39 (घ) में प्रभावों एंव स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार।

अनुच्छेद–40 पंचायती राज संस्थाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था,

अनुच्छेद–42 महिलाओं हेतू प्रसूती सहायता प्राप्ति की व्यवस्था।

अनुच्छेद–47 में पोषाहार, जीवन स्तर एंव लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है।

अनुच्छेद–33 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोक सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था।

अनुच्छेद–332 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों को विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।

ISBN: 978-81-955611-1-7

इसी तरह से गर्भावस्था में ही मादा भ्रूण को नष्ट करने के उद्देश्य से लिंग परिक्षण को रोकने हेतु प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 निर्मित कर क्रियांन्वित किया गया।

इसका उल्लघंन करने वाले को 10–15 हजार का जुर्माना तथा 3–5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

दहेज जैसे सामाजिक अभिशाप से बचाने के लिए भी 1961 में दहेज विविध अधिनियम' बनाया गया था वर्ष 1986 में इसे संशोधित कर समयानुकूल बनाया गया।

संविधान के अनुच्छेद 42वें द्वारा 1961 में विभन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसूती अवकाश को विशेष व्यवस्था की गई।

इसके तहत 90 दिनों के प्रसूताी अवकाश को बढ़ाकर 135 दिनों का कर दिया गया

महिलाओं को प्रभावों के समयतुल्य समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए भी "समान परिश्रमिक अधिनियम" 1976 को पारित किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी अनेक महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता।

शासन ने 'अंर्तराज्यीक प्रवासी कर्मकार अधिनियम' 1979 पारित करके विशेष नियोजनों में महिला कर्मचारियों के लिए प्रथक शोचालय एंव स्नानगृहों की व्यवस्था करना अनिवार्य किया है।

इसकी प्रकार 'ठेका का श्रम अधिनियम' 1970 द्वारा यह प्रावधान रखा गया है कि महिलाओं से एक दिन में मात्र 9 घंटे ही कार्य लिया जाए।

कानूनी प्रावधान

भारतीय दंड संहिता कानून भी महिलाओं को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है ताकि समाज में घटित होने वाले अपराओं अर्थात हत्या, आत्महत्या हेतु प्रेरण, दहेज मृत्यु, बालात्कार, अपहरण एंव व्यापार आदि को रोकने का प्रावधान है। उल्लघंन की स्थिति में गिरफ्तारी एंव न्यायिक दंड व्यवस्था का उल्लघंन इसमें किया गया है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है

भारतीय दंड संहिता को धारा 294 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान पर बुरी–बुरी गालियों देना और अश्लील गाने आदि गाना जोकि सुनने पर बुरे लगे।

धारा 304 के अंतर्गत किसी महिला को मृत्यु उसका विवाह होने के दिनांक से 7 वर्ष की अवधि के अंदर उसके पति या पति के संबधियों द्वारा दहेज संबधी मांग के कारण क्रूरता या प्रताड़ना के फलस्वरूप सामान्य परिस्थितियों के अलावा हुई हो।

धारा 306 के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य दुष्प्रेरण के फलस्वरूप की गई आत्म हत्या,

धारा 313 के अर्न्तगत महिला की इच्छा के विरूद्ध गर्भपात करवाना,

धारा 314 के अर्न्तगत गर्भपात करने के उद्देश्य से किए गए कृत्य द्वारा महिला को मृत्यु हो जाना,

धारा 315 के अन्तर्गत शिशु जन्म को रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु के उद्देश्य से किया गया ऐसा कार्य जिससे मृत्यु संभव हो,

ISBN: 978-81-955611-1-7

धारा 318 के अन्तर्गत किसी नवजात शिशु के जन्म को छुपाने के उद्देश्य से उसके मृत शरीर को गाड़ना अथवा किसी अन्य प्रकार से निराकरण

दहेज महिलाओं का स्त्री धन होता है। यदि दहेज का सामान ससुराल पक्ष के लोग दुर्भावनावश अपने कब्जे में रखते है तो धारा 405–406 भा.द.वि. का अपराध होगा। विवाह के पूर्व या बाद में दबाव या धमकी देकर दहेज प्राप्त करने का प्रयास धार 3/4 दहेज प्रतिबेध अधिनियम के अतिरिक्त धारा 506 भा.द.वि. का भी अपराध होगा। दहेज लेना व देना दोनों अपराध है।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है। अतः महिलाओं को गवाही के लिए थाने बुलाना, अपराध घटित होने पर उन्हें गिरफ्तार करना महिला की तलाशी लेना आदि पुलिस प्रक्रियाओं को इस संहिता में वर्णित किया गया है। इन्ही वर्णित प्रावधानों के तहत न्यायलय भी महिलाओं से संबधित अपराधों का विचारण करता है।

महिलाओं को सुरक्षा एवं अधिकार हेतु पारित अधिनियम

महिलाओं के लिए पारित किए गए विभिन्न अधिनियम हमारे देश में विभिन्न समयों में प्रचलित कुरीतीयों एंव कुप्रथाओं से मुक्त कराने हेतु बहुत से अधिनियम पारित किए गए है तथा महिलाओं को सुरक्षा एंव अधिकार देने हेतु भी अधिकार पारित किए गए है जो निम्न है

महिलाओं के लिए पारित किये गये विभिन्न अधिनियम हमारे देश मे विभिन्न समयों में प्रचलित कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को मुक्त कराने हेतु बहुत से अधिनियम पारित किये गये है तथा महिलाओं को सुरक्षा एवं अधिकार देने हेतु भी अधिनियम पारित किये गये है, जो निम्न है:

(1) राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948

(2) परिवार न्यायालय अधिनियम, 1954

(3) हिन्दु विवाह अधिनियम 1955

(4) हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 (संशोधन 2005)

(5) प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम 1961 (संशोधित 1995)

(6) दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961

(7) गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971

(8) दि इक्वल रियुनरेशन अधिनियम 1976

(9) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006

(10) आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 1983

(11) इन्डिकेंट रिप्रेसेन्टेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986

(12) कमीशन ऑफ सती (प्रिवेन्शन) एक्ट, 1987

(13) घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005

ISBN: 978-81-955611-1-7

इसके साथ–साथ ही महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ अन्य प्रयास किए गए हैं

जैसे 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना तथा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना मुख्य रूप से है भारत सरकार द्वारा 2001 को भी महिला सशक्तीकरण वर्ष घोषित किया गया है इसी साथ–साथ भारत सरकार द्वारा महिलाओं के हित एवं विकास के लिए समय–समय पर कुछ अन्य योजना और कार्यक्रमो का आयोजन भी किया जाता रहा है जैसे कि –बालिका समृद्धि योजन, किशोरी शक्ति योजन, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं योजन, इंन्दिरा महिला योजना, सरस्वती सायंकाल योजना, और महिला समाख्या योजना, आदि प्रमुख है।

महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिसां से निपटने के लिए क्या हो सकते है प्रभावी कदम

महिलाओं से होने हिसां से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपराधियों के व्यवहार में बदलाव लाने के गंभीर प्रयासों के बगैर कभी पूरा नहीं हो सकता महिलाओं के लिए दुनिया में सबसे खतरनाक देशों के बारे में थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन के वार्षिक सर्वेक्षण ने भारत को सबसे पहला दर्जा दिया है। इसमें जिन मामलों पर प्रकाश डाला गया है उनमें यौन–हिसां की श्रेणी में भारत ने सबसे 'बदहाल' देशों में 'पहला' स्थान प्राप्त किया गया है तथा गैर यौन–हिसां की श्रेणी में भारत 10 शिर्ष देशों में से तीसरे स्थान पर रहा है वास्तव में तो महिला एवं बाल विकास मत्रांलय तथा महिला आयोग और अनेक विशेषज्ञो इस सर्वेक्षण के नतीजों को पक्षपात पूर्ण करार दिया है लेकिन वास्तविक सचाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं के साथ होने वाली हिसां सचमुच ही पूरे देश की बड़ी समस्या है जिसे तुरंत हल किए जाने कि जरूरत है भारत में इन बुराइयों को मिटाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाली हिसां को 'व्यापक सुचना–शिक्षा–संचार(IEC)' के जरिए रोकने का प्रयास किया जा सकता है

अपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधान आमतौर पर अपराध होने के बाद पिड़िता को सदमे से उबारने के उपाय के तौर ही इस्तेमाल होते हैं 2013 में, मुबई पुलिस ने ओआरएफ के साथ साझेदारी करके "मुम्बई को महिलाअें और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने" के अभियान के जरिए एक विज्ञापन अभियान की शुरूआत की जिसके तहत महिलाओं को आगे आने और महाराष्ट्र पुलिस के हेल्पलाइन न0 103 पर शिकायत दर्ज करवाने के लिए प्रोत्साहित किया है उसी साल ओ एंड एम ने एक अन्य अभियान की शुरूआत की जिसमें पुलिस ने पुरूषों को चेतावनी दी कि वे महिलाओं के साथ किसी किस्म की हिसां करेगें उन्हें उसका इतेंजाम बुगतना पड़ सकता है।

निष्कर्ष

भारत अभी तक हमलावार मानसिकता का अध्यन करने समझने और उनमें बदलाव लाने के प्रयास

ISBN: 978-81-955611-1-7

में असफल रहा है। हम अभी तक विशेषज्ञा द्वारा प्रचारित इस दृष्टिकोण की अनदेखी कर रहे हैं कि "महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायनों में समाप्त करने के लिए पुरूषों और लड़कों को को समस्या के भाग से बढ़कर देखना होगः उन्हें इस मसले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा" महिलाओं से होने वाली हिसां से निपटने का पूर्ण दृष्टिकोण अपराधियों के व्यवहार में बदलाव लाने के गंभीर प्रयासों के बगैर कभी पूरा नहीं हो सकता है।

सदंर्भ सूची

https:www.orfonine.org/hindi/reasrch/step-against-gender-based-voilence
https://hi.m.wikipedia.org>wiki

https://hindi.webdunia.com

भारत का सविंधन– एक परिचय डी0डी0बसु. प्रेंटिस हाल आफ इंडिया, नई दिल्ली,आंठवा संस्करण,2002

भारत संविधानत्र एम0पी0राय कालेज बूक डिपो जयपूर, 1984

दि राइज एंड फाल दी हिन्दू वोमैन, डॉ0 अंबेडकर पब्लिकेशन सोसाइटी हैदराबाद, 1965

भारतीय सविंधान और महिलाओं के अधिकारः विवेचनात्मक अध्ध्यन डॉ0 हेमंत कुमार Ph.D., Deptt. of Political Science, Maa Omwati Degree College, Hassanpur, Haryana, India Research Jan2019 page No. 68-70